

## Order sheet [Contd]

case No. B.A -49 / 2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12.02.2018	<p>आवेदक/अभियुक्त सोनू द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. उपस्थित।</p> <p>आवेदक सोनू के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक सोनू के पिता गुलेशर खां के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक सोनू का प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही अभिलेख से भी स्पष्ट है।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह मजदूर पेशा व्यक्ति है। पुलिस मौ के द्वारा उसे कथा कथित अपराध में झूठा फंसा दिया गया है। वह करीब चार माह से न्यायिक निरोध में है। आवेदक का किसी भी अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अन्य सहअभियुक्तगण हीरालाल, राकेश, आदि को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा जमानत पर उन्मुक्त किया गया है। समानता के आधार पर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना न्याय संगत है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 16.09.17 को रात्रि 11:20 बजे के लगभग सेवदा रोड कब्रिस्तान के पास अभियुक्तगण राजेश, हीरालाल, तुलसी, सोनू एवं रवि को हरभजन सिंह कुशवाह के घर में डकैती डालने की योजना बनाते समय हथियारों सहित पकड़ा गया है। राजेश के पास से लोहांगी, हीरालाल के पास से कुल्हाड़ी, रवि यादव के पास से 315 बोर का कट्टा, तुलसी उर्फ तुलसीराम से एक टॉर्च एवं सोनू से लोहे का सरिया जप्त हुआ है। पुलिस बल के द्वारा वापिस लौटने पर प्रधान आरक्षक अमरसिंह के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई है।</p> <p>म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।</p> <p>इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
	<p>किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक सोनू का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है</p> <p>प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 14.02.2018 को पेश हो।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद जिला भिण्ड</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)